

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 51/2017

बउनवान

चतुर्भुज सहरिया पुत्र रूघा जाति-सहरिया निवासी-जालेडा
तहसील-बारां, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)



निर्णय दिनांक- 10.12.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 19.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-जालेडा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 89/179 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म गै.मु.खाल पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 224/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का निरीक्षण कर निर्णय फरमाया गया है। पत्रावली पर द्वितीय अतिचार बाबत तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय दिया गया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर मिला और ना ही साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर मिला और परोकारों से जिरह भी नहीं हो सकी। विवादित आराजी पर अपीलांट का कर्ज नहीं और ना ही उक्त प्रकरण में अपीलांट की विधिवत तामील हुई है, केवल हकीम टयारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है, जो निर्णय में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 14 निरस्त फरमाया जावे।

निर्णय जस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 473/2012 निर्णय दिनांक 10.5.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी किस्म गै.मु.खाल है, जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 473/12 निर्णय दिनांक 10.5.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 241/14 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को सरे इजाजत से सुनाया गया।



(सिंह)

जिला कलेक्टर, बारां

सत्यमेव जयते

बारां (राजस्थान)

Web Copy - Not Official